

न्यायालय श्रीमान सिविल जज(प्रवर खण्ड) कक्ष संख्या 15 सुलतानपुर

OS- 1860/20

श्रीमती माधुरी उम्र करीब 35 साल पत्नी सुनील कुमार निवासी ग्राम
चकिया अगई परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर.....वादिनी

बनाम

- 1-पवन कुमार उम्र करीब 26 साल सुत उदयचन्द्र
 - 2-उदयचन्द्र उम्र करीब 65 साल सुत स्व० राम नरेश
 - 3-हनुमत उम्र करीब 50 साल सुत स्व० राज नरायण
- निवासीगण ग्राम अगई परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर
..... प्रतिवादीगण

सा० वा० सं०— /2020 ई०

दायरा दिनांक—

दावा हुकुम इम्तिनाई दवामी

महोदय,

वादिनी निम्न प्रकार विनयी है कि—

धारा 1— यह कि वादिनी ग्राम चकिया अगई परगना मीरानपुर तहसील सदर
जनपद सुलतानपुर की मूल वासिन्दा है और अपने पूर्वजों के समय से
जमीन्दारी विनाश अधिनियम के काफी पूर्व से मौजा हाजा में आबाद
चली आ रही है।

धारा 2—यह कि वाद पत्र के साथ एक नक्शा नजरी दिया जा रहा है जिसमें
विवादित भूमि को लाल रंग की लकीर से घेरकर अक्षर अ, ब, स, द
मय लम्बाई व चौड़ाई के प्रदर्शित किया गया है। नक्शा नजरी वाद पत्र
का अभिन्न अंग है।

धारा 3—यह कि गाटा संख्या 510 रकबा 0.0010 हे० स्थित ग्राम अगई परगना
मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर श्रीमती किरन पत्नी राम

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष संख्या 15 सुलतानपुर / 2020ई०
श्रीमती माधुरी बनाम पवन कुमार आदि सा०वा० सं०—

सुमिरन निवासी ग्राम अगई परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर की संक्रमणीय भूमिधारी आराजी रही। श्रीमती किरन को अपने निजी कार्य हेतु रूपये पैसे की जरूरत थी इसलिए उन्होंने वादिनी से उक्त जमीन विक्रय करने की बात किया। श्रीमती किरन की आर्थिक परेशानी को देखते हुए वादिनी ने उक्त भूमि का बैनामा श्रीमती किरन पत्नी राम सुमिरन से करवाया जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 05.11.2020 को बही संख्या 1 जिल्द संख्या 9124 पृष्ठ संख्या 293 से 324 तक क्रमांक 7272 पर उपनिबन्धक कार्यालय सदर सुलतानपुर में हुयी है।

धारा 4—यह कि बाद बैनामा विक्रेता श्रीमती किरन ने वादिनी को विक्रीत भूमि गाटा संख्या 510 रकबा 0.0010 हे० स्थित ग्राम अगई परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर कब्जा दे दिया और तब से वादिनी गाटा संख्या 510 रकबा 0.0010 हे० स्थित ग्राम अगई परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर पर बिना किसी रोक टोक के काबिज दखील होकर उसका उपयोग व उपभोग करती चली आ रही है। विदित हो कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया लम्बित होने के कारण उद्धरण खतौनी में अभी वादिनी का नाम अंकित नहीं हो पाया है खतौनी में आज भी विक्रेता श्रीमती किरन का नाम अंकित है। वाद पत्र के साथ बैनामों की प्रति संलग्न की जा रही है।

धारा 5—यह कि गाटा संख्या 510 की चौहद्दी इस प्रकार है—पूरब—चकमार्ग, पश्चिम—गाटा संख्या 529 चक माता प्रसाद आदि, उत्तर—पक्की सड़क बरासिन—हरौरा हरिग्टनगंज मार्ग, दक्षिण—गाटा संख्या 529 खेत माता प्रसाद का जुज भाग स्थित है।

धारा 6—यह कि प्रतिवादीगण एक सरहंग व गोलबन्द, विस्तारवादी व चालबाज किरग के व्यक्ति हैं और वादिनी से सख्त रंजिश रखते हैं तथा आये दिन प्रतिवादीगण, वादिनी को बिना किसी कारण के हैरान व परेशान करते रहते हैं। विवादित भूमि गाटा संख्या 510 से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता व सरोकार, कब्जा व दखल न तो कभी था और न इस समय ही है।

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष संख्या 15 सुलतानपुर / 2020ई०
श्रीमती माधुरी बनाम पवन कुमार आदि सा०वा० सं०-

धारा 7—यह कि विवादित भूमि गाटा संख्या 510 सड़क के किनारे स्थित होने के कारण वेशकीमती भूमि है जिसके कारण प्रतिवादीगण की लालची निगाहें हमेशा विवादित भूमि के प्रति बंद व खाम रहती है। प्रतिवादीगण दिनांक 15.12.2020 को कुछ अराजक तत्वों के साथ विवादित भूमि पर कब्जा करने की नीयत से आये और विवादित भूमि पर जबरदस्ती नव निर्माण करने की नीयत से नाप जोख करने लगे, वादिनी मौके पर पहुंचकर प्रतिवादीगण को विवादित भूमि की नाप जोख करने से मना किया जिस पर प्रतिवादीगण मार पीट, लड़ाई-झगड़ा पर आमादा हो गये। वादिनी ने हल्ला गोहार किया जिस पर गांव व पास पड़ोस के तमाम लोग आ गये तब प्रतिवादीगण उस दिन मान गये परन्तु जाते समय ऐलानियां तौर पर धमकी दिये कि भविष्य में विवादित भूमि पर कब्जा करके उससे वादिनी को बेदखल करके नव निर्माण अवश्य करेंगे।

धारा 8—यह कि प्रतिवादीगण के उक्त बेजा कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए वादिनी ने दिनांक 16.12.2020 को गांव के सम्भ्रान्त व्यक्तियों की पंचायत बुलाया परन्तु भरी पंचायत में प्रतिवादीगण पंचों की बात मानने व न्यायालय के बाहर मामले का निपटारा करने से इन्कार कर दिये और अपनी बेजा हरकत पर अडे रहे। लिहाजा दावा दायर करना आवश्यक हुआ।

धारा 9—यह कि यदि प्रतिवादीगण अपनी उपरोक्त बेजा हरकत में कामयाब हो गया तो वादिनी की अपूर्णनीय क्षति होगी जिराकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव न हो पावेगी।

धारा 10—यह कि वाद का मूल कारण प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 15.12.2020 को अपने मेली मददगारों के साथ विवादित भूमि पर आकर जबरदस्ती नव निर्माण करने की नीयत से नाप जोख करके वाद भूमि पर कब्जा करके वादिनी को बेदखल करने की ऐलानियां धमकी देने, वादिनी द्वारा मना करने पर मार पीट लड़ाई झगड़ा पर आमादा होने वादहू दिनांक 16.12.2020 को भरी पंचायत में पंचों की बात मानने व न्यायालय के बाहर मामले का निपटारा करने से इन्कार कर देने व नीज वाद

माननीय न्यायालय की न्यायिक व आर्थिक क्षेत्राधिकार के तहत उत्पन्न हुआ।

धारा 11—यह कि मालियत दावा हाजा विवादित भूमि की बाजारी कीमत मु०-6,00,000/रूपये कायम की जाती है चूंकि दावा हुकुम इम्तिनाई दवामी का है इसलिए मालियत मु०-6,00,000/रूपये का 1/5 भाग मु०-1,20,000/रूपये पर मु०-500/रूपये अधिकतम न्याय शुल्क अदा किया जाता है।

याचना

अ—डिक्री हुकुम इम्तिनाई दवामी बहक वादिनी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण को हमेशा-हमेशा के लिए गना कर दिया जावे कि वे विवादित भूमि पर जबरदस्ती कब्जा न करें और न विवादित भूमि से वादिनी को बेदखल करें, न जबरदस्ती नव निर्माण करें और न ऐसा कोई कार्य करें जिससे वादिनी के शान्तिपूर्ण कब्जा देखल व उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न होवे।

ब—वाद व्यय वादिनी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

स—अन्य याचना जो बहक वादिनी विरुद्ध प्रतिवादीगण मिल सकती हो प्रदान करवायी जाय।

सराफत जायदाद गाटा संख्या 510 रकबा 0.0010 हे० स्थित ग्राम अगई परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर बरंग सुर्ख नक्शा नजरी अक्षर अ, ब, स, द से प्रदर्शित जुज वाद पत्र हाजा।

मैं वादिनी तसदीक करती हूँ कि वाद पत्र की धारा 1 ता 10 मेरे निजी ज्ञान से सही व सच है तथा धारा 11 व याचना के सही होने का पूरा विश्वास है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ईश्वर मेरी मदद करे तसदीक मुकाम दीवानी न्यायालय सुलतानपुर

तसदीक दि०—

माधुरी

प्रार्थिनी

श्रीमती माधुरी पत्नी सुनील कुमार निवासी ग्राम चकिया अगई परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर.....वादिनी

द्वारा

अभिजित

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्रकार खण्ड) कक्षा संख्या 15 सुलतानपुर श्रीमती माधुरी वनाम पवन कुमार आदि सा०वा० सं०- /2020ई०

2/1/21



न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्रवर-खण्ड) महेन्द्र कक्ष सं-15 सुल्तानपुर

श्रीमती माधुरी ————— वाकी

२५/६

पवन कुमार आदि ————— प्रतिवादीगण

सां वा सं - 12020
 दाया सिवि -



अक्ष 1 - 1 मीटर
 अक्ष 2 - 4 मीटर

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्रवर-खण्ड) महेन्द्र कक्ष सं-15 सुल्तानपुर
 श्रीमती माधुरी ————— बं नाम ————— पवन कुमार आदि
 सां वा सं - 12020
 दाया सिवि -

वाकी

माधुरी

माधुरी पत्नी सुनील कुमार
 सावित्री-ग्राम-चकिया आई
 परगना - मीरमण्डर
 तहसील - सदर
 जिला - सुल्तानपुर

द्वारा

[Signature]
 अधिवक्ता

दिनांक - १५/०५/२०२०

तहत उत्पन्न

री कीमत

इस्तिना

/5 भाग

लक अदा

दीगण

हमेशा

फज्जा

तस्ती

के

से

न्यायालय सिविल - जज (प्रवर खण्ड) कक्ष सं०-
सुलतानपुर

मूल वाद संख्या- 1860/20

28
T

बनाम

दिनांक 21/12/20

आज यह वादपत्र व शपथपत्र मुन्सरिम आख्या के साथ प्रस्तुत
अवलोकित । अंगीकरण के विन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो ।

आदेश

मूलवाद के रूप में पंजीकृत हो । वाद दिनांक 21/1/21
वास्ते बयान तहसीसी एवं दिनांक 27/1/21 को वास्ते विरक्ति के
वादविन्दु पेश हो । विपक्षी को सम्मन जारी हो वादी पैरवी तीन दिन

सिविल जज(प्रवर खण्ड)

कक्ष सं०-15 सुलतानपुर

5/2 प्रार्थनापत्र हुकुम इस्तिनाई चन्दरोजा अन्तर्गत आदेश 39 नियम
जा०दी० ।

6/2 शपथपत्र ।

7/2 प्रार्थनापत्र कमीशन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जा०दी० प्रस्तुत
गया ।

के विरक्ति के नो नो प्रार्थना
वास्ते बयान तहसीसी एवं
दिनांक 27/1/21 को वास्ते
विरक्ति के वादविन्दु पेश हो
05-01-2021 को विरक्ति - 4/

न्याय

श्रीम


दिनांक 22

प्रार्थना पत्र 7ग2

वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जरिये अमीन अदालत वाद भूमि का कमीशन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 7ग2 स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अविलम्ब करे। हल्का अमीन को वादायुक्त नियुक्त किया जाता है। वाद पैरवी वादायुक्त को परवाना जारी हो। वादायुक्त उभयपक्ष को सूचित कर नियमानुसार वाद भूमि का कमीशन कार्यवाही कर आख्या मय नक्शा नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।



(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष सं०-15
सुलतानपुर।

दिनांक 21.12.2020

दावाना न्यायालय सुलतानपुर

तसदीक दि०-

अगई परगना मीरानपुर
तहसील सदर जनपद
सुलतानपुर.....वादिनी
द्वारा

अधिवक्ता

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड), कोर्ट नं०-15, सुलतानपुर।

मूल वाद सं०-1860/2020

श्रीमती माधुरी

बनाम

पवन कुमार आदि ।

दिनांक 22.12.2020

पत्रावली पेश हुई । वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये । प्रार्थनापत्र 39क1 पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

प्रार्थनापत्र 19क1 वादिनी श्रीमती माधुरी की ओर से अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 जा०दी० वास्ते वापस किये जाने वाद इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वादपत्र में काफी कमियां हो गयी हैं जो संशोधन के द्वारा दूर नहीं की जा सकती है । अतः वादी पुनः वाद दायर करने की अनुमति के साथ वाद वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

मामलें में अभी प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया है ।

वादिनी ने अपने प्रार्थनापत्र में वाद उठाये जाने का जो कारण बताया है वह उचित है । चूंकि वादी अपने वाद को नहीं चलाना चाहता है अतः उसे जबरन वाद चलाने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है । न्यायहित में प्रार्थनापत्र 19क1 स्वीकार किये जाने योग्य है ।

आदेश

प्रार्थनापत्र 19क1 स्वीकार किया जाता है । वादी को पुनः वाद दायर करने की अनुमति के साथ वाद वापस लेने की अनुमति दी जाती है । कार्यालय नियमानुसार वाद वापस करे । वाद अनुपालन पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो ।

(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्रवर खण्ड),
कोर्ट नं०-15 सुलतानपुर ।

भूमि का

हल्का

हो।

कर

15

न्यायालय श्रीमान सिविल जज(प्रवर खण्ड) कक्ष संख्या 15 सुलतानपुर

OS-1894/20

श्रीमती माधुरी उम्र करीब 35 साल पत्नी सुनील कुमार निवासी ग्राम चकिया अगई परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर.....वादिनी

बनाम

1- हनुमत उम्र करीब 50 साल सुत स्व0 राज नरायण

2-पवन कुमार उम्र करीब 26 साल सुत उदयचन्द्र

निवासीगण ग्राम अगई परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर

प्रतिवादीगण

सा0 वा0 सं0- /2020 ई0

दायरा दिनांक-

दावा हुकूम इम्तिनाई दवामी

महोदय,

वादिनी निम्न प्रकार विनयी है कि-

धारा 1--यह कि वादिनी ग्राम चकिया अगई परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर की मूल वासिन्दा है और अपने पूर्वजों के समय से जमीन्दारी विनाश अधिनियम के काफी पूर्व से मौजा हाजा में आबाद चली आ रही है।

धारा 2--यह कि वाद पत्र के साथ एक नक्शा नजरी दिया जा रहा है जिसमें विवादित भूमि को लाल रंग की लकीर से घेरकर अक्षर अ, ब, स, द मय लम्बाई व चौड़ाई के प्रदर्शित किया गया है। नक्शा नजरी वाद पत्र का अभिन्न अंग है।

धारा 3--यह कि गाटा संख्या 510 रकबा 0.0010 हे0 स्थित ग्राम अगई परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर श्रीमती किरन पत्नी राम सुभिरन निवासी ग्राम अगई परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष संख्या 15 सुलतानपुर
श्रीमती माधुरी बनाम हनुमत आदि सा0वा0 सं0- /2020ई0

सुलतानपुर की संक्रमणीय भूमिधरी आराजी रही। श्रीमती किरन को अपने निजी कार्य हेतु रूपये पैसे की जरूरत थी इसलिए उन्होंने वादिनी से उक्त जमीन विक्रय करने की बात किया। श्रीमती किरन की आर्थिक परेशानी को देखते हुए वादिनी ने उक्त भूमि का बैनामा श्रीमती किरन पत्नी राम सुमिरन से करवाया जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 05.11.2020 को बही संख्या 1 जिल्द संख्या 9124 पृष्ठ संख्या 293 से 324 तक क्रमांक 7272 पर उपनिबन्धक कार्यालय सदर सुलतानपुर में हुयी है।

धारा 4—यह कि बाद बैनामा विक्रेता श्रीमती किरन ने वादिनी को विक्रीत भूमि गाटा संख्या 510 रकबा 0.0010 हे० स्थित ग्राम अगई परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर कब्जा दे दिया और तब से वादिनी गाटा संख्या 510 रकबा 0.0010 हे० स्थित ग्राम अगई परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर पर बिना किसी रोक टोक के काबिज दखील होकर उसका उपयोग व उपभोग करती चली आ रही है। विदित हो कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया लम्बित होने के कारण उद्धरण खतौनी में अभी वादिनी का नाम अंकित नहीं हो पाया है खतौनी में आज भी विक्रेता श्रीमती किरन का नाम अंकित है। वाद पत्र के साथ बैनामों की प्रति संलग्न की जा रही है।

धारा 5—यह कि गाटा संख्या 510 की चौहद्दी इस प्रकार है—पूरब—चकमार्ग, पश्चिम—गाटा संख्या 529 चक माता प्रसाद आदि, उत्तर—पक्की सड़क बरासिन—हरौरा हरिगटनगंज मार्ग, दक्षिण—गाटा संख्या 529 खेत माता प्रसाद का जुज भाग स्थित है।

धारा 6—यह कि प्रतिवादीगण एक सरहंग व गोलबन्द, विस्तारवादी व चालबाज किरम के व्यक्ति हैं और वादिनी से सख्त रंजिश रखते हैं तथा आये दिन प्रतिवादीगण, वादिनी को बिना किसी कारण के हैरान व परेशान करते रहते हैं। विवादित भूमि गाटा संख्या 510 से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता व सरोकार, कब्जा व दखल न तो कभी था और न इस समय ही है।

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्रवर खण्ड) कस संख्या 15 सुलतानपुर / 2020ई0
श्रीमती माधुरी बनाम हनुमत आदि सावदा सं०-

धारा 7—यह कि विवादित भूमि गाटा संख्या 510 सड़क के किनारे स्थित होने के कारण वेशकीमती भूमि है जिसके कारण प्रतिवादीगण की लालची निगाहें हमेशा विवादित भूमि के प्रति बद व खाम रहती है। प्रतिवादीगण दिनांक 20.12.2020 को कुछ अराजक तत्वों के साथ विवादित भूमि पर कब्जा करने की नीयत से आये और विवादित भूमि पर जबरदस्ती नव निर्माण करने की नीयत से नाप जोख करने लगे, वादिनी मौके पर पहुंचकर प्रतिवादीगण को विवादित भूमि की नाप जोख करने से मना किया जिस पर प्रतिवादीगण मार पीट, लड़ाई—झगड़ा पर आमादा हो गये। वादिनी ने हल्ला गोहार किया जिस पर गांव व पास पड़ोस के तमाम लोग आ गये तब प्रतिवादीगण उस दिन मान गये परन्तु जाते समय ऐलानियां तौर पर धमकी दिये कि भविष्य में विवादित भूमि पर कब्जा करके उससे वादिनी को बेदखल करके नव निर्माण अवश्य करेंगे।

धारा 8—यह कि प्रतिवादीगण के उक्त बेजा कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए वादिनी ने दिनांक 21.12.2020 को गांव के सम्भ्रान्त व्यक्तियों की पंचायत बुलाया परन्तु भरी पंचायत में प्रतिवादीगण पंचों की बात मानने व न्यायालय के बाहर मामले का निपटारा करने से इन्कार कर दिये और अपनी बेजा हरकत पर अड़े रहे। लिहाजा दावा दायर करना आवश्यक हुआ।

धारा 9—यह कि यदि प्रतिवादीगण अपनी उपरोक्त बेजा हरकत में कामयाब हो गया तो वादिनी की अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव न हो पावेगी।

धारा 10—यह कि वाद का मूल कारण प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 20.12.2020 को अपने गेली मददगारों के साथ विवादित भूमि पर आकर जबरदस्ती नव निर्माण करने की नीयत से नाप जोख करके वाद भूमि पर कब्जा करके वादिनी को बेदखल करने की ऐलानियां धमकी देने, वादिनी द्वारा मना करने पर मार पीट लड़ाई झगड़ा पर आमादा होने वादहू दिनांक 21.12.2020 को भरी पंचायत में पंचों की बात मानने व न्यायालय के बाहर मामले का निपटारा करने से इन्कार कर देने व नीज वाद

माननीय न्यायालय की न्यायिक व आर्थिक क्षेत्राधिकार के तहत उत्पन्न हुआ।

धारा 11—यह कि मालियत दावा हाजा विवादित भूमि की बाजारी कीमत मु०-6,00,000/रूपये कायम की जाती है चूँकि दावा हुकुम इम्तिनाई दवामी का है इसलिए मालियत मु०-6,00,000/रूपये का 1/5 भाग मु०-1,20,000/रूपये पर मु०-500/रूपये अधिकतम न्याय शुल्क अदा किया जाता है।

याचना

अ—डिक्री हुकुम इम्तिनाई दवामी बहक वादिनी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण को हमेशा-हमेशा के लिए मना कर दिया जावे कि वे विवादित भूमि पर जबरदस्ती कब्जा न करें और न विवादित भूमि से वादिनी को बेदखल करें, न जबरदस्ती नव निर्माण करें और न ऐसा कोई कार्य करें जिससे वादिनी के शान्तिपूर्ण कब्जा दखल व उपयोग उभोग में किसी भी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न होवे।

ब—वाद व्यय वादिनी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

स—अन्य याचना जो बहक वादिनी विरुद्ध प्रतिवादीगण मिल सकती हो प्रदान करवायी जाय।

सराहत जायदाद गाटा संख्या 510 रकबा 0.0010 हे० स्थित ग्राम अगई परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर बरंग सुर्ख नक्शा नजरी अक्षर अ, ब, स, द से प्रदर्शित जुज वाद पत्र हाजा।

मैं वादिनी तसदीक करती हूँ कि वाद पत्र की धारा 1 ता 10 मेरे निजी ज्ञान से सही व सच है तथा धारा 11 व याचना के सही होने का पूरा विश्वास है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ईश्वर मेरी मदद करे तसदीक मुकाम दीवानी न्यायालय सुलतानपुर

तसदीक दि०-

माधुरी

प्रार्थिनी माधुरी

श्रीमती माधुरी पत्नी सुनील कुमार निवासी ग्राम चकिया अगई परगना मीरानपुर तहसील सदर जनपद सुलतानपुर वादिनी द्वारा

अधिवक्ता

दिनांक- 28/12/2020

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष संख्या 15 सुलतानपुर / 2020ई०
श्रीमती माधुरी बगाम हनुमत आदि सा०वा० सं०-



माधुरी वादिनी

बनाम

शुभमहोपाय प्रतिवादी

साठवाठ सं० - 1/2020

दाखल दिनांक -



सराहत जोयपाप

गहा सं० ३७०, रकमा-०.००१०हे.

स्थान-अगई पर मीरनक्ष
तह-सदर जिला-सुमतराज

वादिनी

माधुरी

माधुरी पत्नी सुनीलकुमार

साठ-अगई परगना-मीरनक्ष

तह-सदर जिला-सुमतराज

कारिण

[Signature]
अधिकारी

दिनांक ०३/१२/२०२०

३५/६

सामान्य शीतानुसिद्धि कर (अग्र-कण्ड) महीप कठ सं-१८ सुमतराज
माधुरी बनाम शुभमहोपाय
साठवाठ सं० 1/2020

न्यायालय सिविल - जज (प्रवर खण्ड) कक्ष सं०-
सुलतानपुर

मूल वाद संख्या- 1094/20

बनाम

दिनांक 28/12/20

आज यह वादपत्र व शपथपत्र मुन्सरिम आख्या के साथ प्रस्तुत
अवलोकित । अंगीकरण के विन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो ।

आदेश

मूलवाद के रूप में पंजीकृत हो । वाद दिनांक 25/1/21
वास्ते बगान तहरीरी एवं दिनांक 01/2/21 को वास्ते विरचित
वादविन्दु पेश हो । विपक्षी को सम्मन जारी हो वादी पैरवी तीन

सिविल जज(प्रवर खण्ड)

कक्ष सं०-15 सुलतानपुर

5ग2 प्रार्थनापत्र हुकुम इम्तिनाई चन्द्रोजा अन्तर्गत आदेश 39 नियम

जा०दी० ।

शपथपत्र ।

5ग2 प्रार्थनापत्र कमीशन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जा०दी० प्रस्तुत

पेश ।

न्यायालय सिविल जज प्रवर खण्ड कक्ष संख्या-15 सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या-1894/2020
श्रीमती माधुरी -बनाम- हनुमत ।

दिनांक- 23.12.2020

प्रार्थना पत्र 5ग2 वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादी विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय रूप से सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद भूमि की नक्शा मानचित्र में अक्षर अ,ब,स,द से प्रदर्शित करते हुए उसे अपने स्वत्व व अध्यासन की सम्पत्ति बताया गया है तथा कथन किया गया है कि प्रतिवादी का विवादित सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है। वादी की ओर से दाखिल प्रलेखों का परिशीलन किया। वादिनी ने विवादित भूमि को जरिये बैनामा प्राप्त करना कहा है और समर्थन में विक्रयपत्र की प्रति, पद्धरण खतौनी, भूचित्र व अन्य प्रलेखों की प्रति दाखिल किया है। वादिनी ने विवादित भूमि का गाटा नं०- 510 रकबा 0.0010 हे० बताया है और सम्पूर्ण रकबा का बैनामा लिया है। ऐसे में यदि प्रतिवादी वादभूमि पर कब्जा कर लेगा तो इससे वादी का दावा वायर करने का मकसद ही विफल हो जायेगा। अतः अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उभय पक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे वाद भूमि दर्शित नक्शा वाद पत्र अक्षर अक्षर अ,ब,स,द पर नियत दिनांक तक यथास्थिति बनाये रखे। वादी आदेश 39 नियम 3 सि० प्र० सं० का अनुपालन करें। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। आपत्ति आमंत्रित किया जाता है। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 5ग2 व आपत्ति दिनांक 11.01.2021 को पेश हो।

(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष सं०-15
सुलतानपुर।

प्रार्थना पत्र 7ग2

वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जरिये अमीन अदालत वाद भूमि का कमीशन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 7ग2 स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अविलम्ब करे। हत्का अमीन को वादायुक्त नियुक्त किया जाता है। वाद पैरवी वादायुक्त को परवाना जारी हो। वादायुक्त उभयपक्ष को सुचित कर नियमानुसार वाद भूमि का कमीशन कार्यवाही कर आख्या मय नक्शा नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष सं०-15
सुलतानपुर।

11-01-21 - गुमासत प्रकृतोत्पत्ति/

दि- 25-01-21 को

वास्तु आरंभ किया

गया है।

C. 46/15

25-01-21 - गुमासत प्रकृतोत्पत्ति/

दि- 01-02-21 को

वास्तु आरंभ किया गया है।

05
04
21

01/02/21

C. 46/15

गुमासत प्रकृतोत्पत्ति/

दि- 05/04/21 को

वास्तु आरंभ किया गया है।

C. 46/15

31
07
21

5-4-21 वास्तु आरंभ किया गया है।
दि- 31-7-21 को
वास्तु आरंभ किया गया है।

C. 46/15